भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

सं. 16-118/6-परीक्षा/परिपत्र/2011

दिनांक - 9-2-2011

परिपत्र संख्या 01/2011

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- एस ए एस/आर ए/आई ई सी.बी.टी.-2011 का आयोजन

महोदय/महोदया

एस ए एस/आर ए/आई ई की वर्ष 2011 की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा अगस्त 2011 में होगी। परीक्षा की निर्धारित तिथियां विस्तृत कार्यक्रम के साथ अलग से सूचित की जायेगी।

क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है कि ए सी (एन) के दिनांक 17-01-2011 के पत्रांक 43-स्टाफ नियुक्ति/24-2010 के अनुसार नये परीक्षार्थियों की प्रारम्भिक परीक्षा की पहल करें। तदनुसार परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था करें।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

सं. /6 परीक्षा/परिपत्र/2011

दिनांक

परिपत्र संख्या 02/2011

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
निदेशक (कार्मिक)
विषयः- ऑनलाइन कम्प्यूटर बेसड टैस्ट(सी.बी.टी.)-2011

महोदय/महोदया,

एस.ए.एस/आर .ए. ई./आई. परीक्षाओं के लिए अगली सी.बी.टी. अगस्त 2011 में होगी (परीक्षा अनुभाग का परिपत्र संख्या 01/2011) आर.ए.ई.-1 "आयकर" तथा आर.ए.ई -2 "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, तथा सेवाकर "प्रश्न पत्रों में बहुविकल्पी प्रश्न क्रमशःवित्त अधिनियम-2010 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, टैरिफ 2010-2011 पर अधारित होगें । राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा (आर ए ई) में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को तदनुसार सूचित करे ।

भवदीय,

(कर्ण सिंह)
निदेशक(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

ईमेल

परीक्षा अनुभाग

2011 का परीक्षा परिपत्र सं. 3

सं. 154/35- परीक्षा /2008 /V

दिनांक 28.03.2011

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी अधिकारी (अधीनस्थ कार्योलयों सहित) (डाक सूची के अनुसार)

विषय :- अगस्त 2011 में आयोजित होने वाली निर्धारित अधीनस्थ लेखा परीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के परीक्षार्थियों के लिए रियायत स्तरों का निर्धारण।

महोदय/महोदया,

अप्रैल 1986 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय एंव भारत सरकार, कार्मिक एंव लोक शिकायत एंव पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 3 अक्तूबर 2000 के पत्र सं. 36012/23/96 - स्था. (आरएस) खण्ड II के अर्न्तगत जारी अनुदेशों के अनुसरण में भारत के नियंत्रक - महा लेखापरीक्षक ने अगस्त 2011 में आयोजित होने वाली निर्धारित एस.ए.एस. परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति श्रेणियों से सम्बन्धित परीक्षार्थियों को अनुमत किए जाने वाली रियायत की सीमा के लिए सावधानी पूर्वक विचार किया है और निर्णय लिया है कि रियायत की सीमा निम्न प्रकार होगी।

एस.ए.एस. समूह –I और II के सभी प्रश्न पत्रों के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5 प्रतिशत तक की रियायत होगी। दूसरे शब्दों में उन परीक्षार्थियों को जो विशेष प्रश्न पत्र में 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नही करते हैं, को उस प्रश्न पत्र में रियायत के साथ उत्तीण घोषित करने के लिए 5 प्रतिशत तक अकों की रियायत प्रदान की जाएगी।

7 अक्तूबर 2010 के पत्र संख्या 589/44 - परीक्षा परिपत्र/2010 के अन्तर्गत जारी किए गए परीक्षा अनुभाग के 2010 के परिपत्र सं. 13 के पैरा 2 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता हैं जिसमें नवम्बर 2010 में आयोजित की गई एसएएस ऑनलाइन परीक्षा के लिए अनु.जा. अनु.ज. जा. परीक्षार्थियों के लिए रियायत की सूचना है। यह स्पष्ट किया जाता है कि नवम्बर 2010 में आयोजित की गई एसएएस परीक्षा के लिए अनु. जा./ अनु. ज. जा. के परीक्षार्थियों के प्रत्येक विशेष प्रश्न पत्र में 5 प्रतिशत तक के अकों की रियायत के प्रति भी लागू है क्योंकि रियायत के साथ पास करने का माप दण्ड वही है।

इस रियायत के लिए व्यापक प्रचार किया जाए और अनु.जा./ अनु. ज. जा. परीक्षार्थियों को समुचित रूप से उपर्युक्त रियायत के बारे में सूचित कर दिया जाए।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेंजे।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

परिपत्र सं. -04-2011

सं.178 /6-परीक्षा/परिपत्र/2011

दिनांक 06-04-2011

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी सम्बन्धित कार्यालय
क्षे.प्र.सं./क्षे. प्र.के. /व.अ.ले.एवं ले.प. /आईसीआईएसए/म.नि. (ले.प.) एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषय :- आगामी एस.ए.एस./राजस्व लेखा परीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अगस्त 2011 माह में निम्नलिखित कार्यालयों में अधीनस्थ लेखा परीक्षा/लेखा सेवा, राजस्व लेखा परीक्षा और प्रोत्साहन परीक्षा के अयोजन का निर्णय किया गया है-

(अ) लेखा परीक्षा कार्यालय-

(1) राजस्व लेखा परीक्षा परीक्षा (आर.ए.ई.) सभी लेखा परीक्षा कार्यालयों में आयोजित की जाएगी।

(2) एस.ए.एस. परीक्षा (सभी श्रेणियों के लिए) निम्नलिखित दो रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालयों को छोड कर जहां यह परीक्षा केवल अनुसूचित जन जाति के परीक्षार्थियों के लिए आयोजित होगी।

(i) प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, दक्षिण रेलवे, चेन्नैइ - (केवल अनुसूचित जन जाति के लिए)

(ii) प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, पूर्वी रेलवे, कोलकत्ता - (केवल अनुसूचित जनजाति के लिए)।

(ब) लेखा एवं हकदारी कार्यालय-

(1) प्रोत्साहन परीक्षा (आईई) लेखा एवं हकदारी के सभी कार्यालयों में आयोजित की जाएगी।

(2) एस.ए.एस. परीक्षा नीचे दिये गये विवरण के अनुसार आयोजित की जाएगी-

कार्यालय जहां परीक्षा सभी श्रेणियों के लिए आयोजित की जाएगी	कार्यालय जहां परीक्षा केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आयोजित की जाएगी	कार्यालय जहां परीक्षा केवल अनुसूचित जनजाति के लिए आयोजित की जाएगी
म. ले (ले.हक.) गुजरात, राजकोट म.ले.(ले.एवं हक.)मिजोरम व.उ.म.ले.(ले.एवं हक.)सिक्किम म.ले.(ले.एवं हक) उत्तराखण्ड म.ले.(ले.एवं हक.) बिहार व.उ.म.ले.(ले.एवं हक.)नागालैण्ड म.ले.(ले.एवं हक.) मेघालय म.ले.(ले.एवं हक.) अरूणाचल प्रदेश व.उ. म.ले.(ले.एवं हक.) मणिपुर	प्र. म.ले.(ले.एवं हक.)- I महाराष्ट्र, मुम्बई म.ले. (ले.एवं हक.) - II महाराष्ट्र, नागपुर म.ले. (ले.एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, शिमला प्र.म.ले.(ले.एवं हक.) पश्चिम बंगाल, कोलकाता प्र.म.ले.(ले.एवं हक.) आंध्र प्रदेश, हैदराबाद	प्र. म.ले.(ले एवं हक.)- I उत्तर प्रदेश, इलाहबाद म.ल.(ले. एवं हक.) केरल, तिरूवनंतपुरम व.उ. म. ले.(ले.एवं हक.) त्रिपुरा, अगरतलां प्र.म. ले. (ले. एवं हक.) हरियाणा, चण्डीगढ म.ले.(ले.एवं हक.) मध्य प्रदेश ग्वालियर म.ले.(ले.एवं हक.)- II पंजाब, चण्डीगढ प्र.म.ले.(ले.एवं हक.) कर्नाटक बैगलोर प्र.म.ले.(ले.एवं हक.) असम, गुबाहाटी प्र.म.ले.(ले.एवं हक.)तमिल नाडु, चेन्नैइ व.उ.म.ले.(ले.एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर,श्रीनगर

(3) एस.ए.एस. परीक्षा निम्नलिखित लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में नहीं आयोजित की जाएगी–

म.ले. (ले.एवं हक.) छत्तीसगढ, रायपुर
म.ले. (ले.एवं हक.) झारखण्ड, राँची
प्र. म.ले. (ले.एवं हक.) राजस्थान, जयपुर
प्र.म.ले.(ले.एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर

(स)

एस.ए.एस. (सिविल लेखा परीक्षा) लेखा एवं हकदारी के कर्मचारियों के लिए - यह सभी लेखा एवं हकदारी के परीक्षार्थियों के लिए खोला जाएगा जो वचन-पत्र देगें कि एस.ए.एस. (सिविल लेखा परीक्षा) परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत उत्तीर्ण करने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर के लेखा परीक्षा कार्यालय के लिए अंतरण (switch over) करेंगे। यह वचन-पत्र परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने से पहले ही उनसे प्राप्त कर लिया जाए।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

परीक्षा अनुभाग

सं. /6-परीक्षा /परिपत्र/2011
दिनांक - 06-04-2011

परिपत्र संख्याः 5/2011

सेवा में,

सभी लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालय
आर.टी.आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए./आई.सी.आईएस.ए.
महानिदेशक(लेखा परीक्षा)एवं निदेशक(कार्मिक)

विषय :- प्रोत्साहन परीक्षा के आई. ई -3 और आई ई -4 प्रश्न पत्रों में छूट के बाबत ।

महोदय।महोदया,

परीक्षा अनुभाग के 2010 के परिपत्र संख्या 14 जो कि पत्रांक 630/44-परीक्षा /परिपत्र /2010 दिनांक 19-10-2010 को जारी किया गया था के निरन्तरता में यह स्पट किया जाता है कि लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के प्रोत्साहन परीक्षा के परीक्षार्थी स.ले.अ./ले.अ./ व.ले.अ.को सूचना प्रोद्योगिकी के प्रश्न पत्र आइ.ई.-3 तथा आई.ई--4 में छूट प्राप्त होगी यदि उन्होने एस.ओ.जी.ई के कम्प्यूटर सिस्टम प्रश्न पत्र सिविल एकाउन्टस या.सिविल आडिट परीक्षा के साथ उत्तीर्ण किये है ।

2011 की प्रोत्साहन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को तदनुसार सूचित करे ।

भवदीय,

कर्ण सिंह
निदेशक(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

ई-मेल

2011 का परीक्षा परिपत्र सं. 6

सं. 184/6- परीक्षा /परिपत्र/2011

दिनांक 8.04.2011

सेवा में,

सभी भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी/क्षेत्रीय प्रशिक्षण सस्थांन/ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/ एन. ए. ए. ए. / आई. सी. आई. एस. ए. / निदेशक (कार्मिक) (विदेश स्थित लेखा परीक्षा कार्यालयों को छोड़कर)।

विषय :- एस. ए. एस. में शामिल होने के लिए कुल सेवा काल का निर्धारण।

महोदय/महोदया,

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) आधार पर संचालित की जा रही परीक्षा की संशोधित प्रणाली के परिचय के परिणाम स्वरूप एस ए एस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि को नियत करने का मामला काफी समय से मुख्यालय के ध्यान में रहा है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि एस ए एस में सम्मिलित होने के प्रति पात्रता का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि उस माह की अन्तिम तिथि होगी जिसमें परीक्षा आयोजित होती है। यह नियंत्रक- महा लेखा परीक्षक के स्थाई आदेशों की नियम पुस्तिका (प्रशासकीय) खण्ड I के पेरा 9.2.6 के नीचे दिए गए नोट 1 के अतिक्रमण में होगा।

उपर्युक्त निर्णय के अनुरूप एस ए एस अगस्त 2011 परीक्षा में सम्मिलित होने के प्रति पात्रता के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि 31 अगस्त 2011 होगी । तथापि, वे परीक्षार्थी जो 31 अगस्त 2011 को अर्हक सेवा पूरी करने के योग्य नही हैं, के सम्बन्ध में एस.ए.एस. अगस्त 2011 परीक्षा के लिए निर्णायक तिथि किसी परीक्षार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 15 नवम्बर 2011 सतत् बनी रहेगी।

इसका व्यापक प्रचार किया जाए ।

इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय

(कर्ण सिंह)

निदेशक (परीक्षा)

<u>भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली</u>

सं. 187/6- परीक्षा /परिपत्र/2011
दिनांक 15.04.2011

परीक्षा अनुभाग
<u>2011 का परीक्षा परिपत्र सं. 7</u>

सेवा में,
भारतीय लेखा एंव लेखापरीक्षा विभाग कार्यालय के सभी विभागाध्यक्ष
(नाम से डाक सूचभ् के अनुसार)

विषय :- एस.ए.एस/आर.ए.ई/ आई.ई. 2011 के परीक्षार्थियों के ऑन - लाइन पंजीकरण के लिए मार्ग दर्शन।

महोदय/महोदया,

जैसा कि पहले ही सूचित किया जा चुका है कि आगामी कम्प्यूटर आधारित एस.ए.एस. /आर.ए.ई. /प्रोत्साहन परीक्षा अगस्त 2011 के महीने में आयोजित की जाएगी। परीक्षा संचालन की तिथियां जून/जुलाई के महीने में अधिसूचित की जाएगी।

2. उपर्युक्त परीक्षा के लिए भावी परीक्षार्थियों को दो चरणों में ऑन लाईन पंजीकृत किया जाएगा अर्थात उन परीक्षार्थियों जिन्होने पहले के वर्षों में (एस.ओ.जी.ई/एस.ए.एस.) परीक्षा दी है, को प्रथम चरण में पंजीकृत किया जाएगा और नए परीक्षार्थियों जिन्होने पहले के वर्षों में एस.ओ.जी.ई./एस.ए.एस. परीक्षा नही दी है, को दूसरे चरण में पंजीकृत किया जाएगा। चरण-I, 25.04.2011 से 05.05.2011तक होगा। चरण II में परीक्षार्थियों के पंजीकृत की सूचना अलग से सम्प्रेषित की जाएगी क्योंकि पंजीकरण ऑनलाइन है, इनमें की गई प्रविष्टियों के साथ पंजीकरण के पुन: खोले जाने की कोई गुंजाइश नही है । इसलिए महत्त्व दिया जाता है कि परीक्षार्थियों के विवरणों की यथातथ्यता का सत्यापन एंव सुनिश्चय सेवा पुस्तिका और इस सम्बन्ध में दूसरे अभिलेखों से किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि परीक्षार्थी पंजीकृत हो जाता है तो अवसर को उसका उपयोग किए जाने के समान माना जाएगा।

3. उपर्युक्त उल्लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को अपने- अपने कार्यालयों जिससे वे सम्बन्धित हैं, में उनके आवेदन पत्रों को भरवाकर ऑनलाइन पंजीकृत कर दिया जाएगा। अपने अपने कार्योलयों के वरिष्ठ उप महालेखाकार / उप महालेखाकार (प्रशासन) अथवा वरि.. लेखा अधि. / लेखा अधिकारी (प्रशासन) परीक्षार्थी के पंजीकरण की प्रक्रिया का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेगें । इससे न केवल तथ्यों की यथार्थता सुनिश्चित होगी बल्कि पंजीकरण में दुहरीकरण से बचाव होगा और यह निवेश नियंत्रण के रूप में कार्य करता है । इस प्रयोजन के लिए, क्षेत्रीय कार्यालयों को इन्टरनेट सुविधा सहित एक या अधिक समर्पित कम्प्यूटरों को उद्दिष्ट करना चाहिए । पंजीकरण के लिए पृथक उपयोक्ता आई डी एवं संकेत शव्दों और परीक्षार्थी के अनुमोदन को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए जनित कर दिया गया है और ईमेल के माध्यम से सम्प्रेषित किया जाएगा।

4. पिछले वर्ष अपूर्ण/गलत/ विलम्बित पंजीकरण के कुछ मामले हुए हैं। नवम्बर 2010 में आयोजित परीक्षा के लिए भरे गए पंजीकरण फार्मों की जॉच के दौरान यह देखा गया कि कुछ परीक्षार्थियों ने पिछली परीक्षाओं में प्राप्त छूटों को सही प्रकार से नही भरा। साथ ही कुछ परीक्षार्थियों ने प्रवेश पत्र के जारी होने के बाद अनेक विषयों में छूट का दावा किया जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परीक्षार्थी द्वारा भरे गए विवरणों की क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सही जॉच नही की गई या परीक्षार्थी ने पूरे विवरणों को नही घोषित किया। इसकी पुनरावृति नही होनी चाहिए। अत: अन्य बातों के साथ यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि:-

(i) परीक्षार्थी का नाम और उसके माता-पिता का नाम और उसके सेवा पुस्तिका एंव अन्य सम्बन्धित अभिलेख के अनुसार दर्ज हैं।

(ii) परीक्षार्थी द्वारा भरे गए विवरण विशेष रूप से इण्डेक्स नम्बर/वर्ष/शाखा जिसमें वह शामिल हुआ/हुई और दावा की गई छूटों की उचित रूप से जॉच कर ली गई हैं।

(iii) परीक्षार्थी अपने - अपने कार्यालयों जिससे उनका सम्बन्ध है, में पंजीकृत हैं।

5. उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों के पंजीकरण के लिए विस्तृत निर्देश आपको तुरन्त सन्दर्भ के लिए सलग्न हैं।

6. इसके अतिरिक्त, स्थाई आदेशों की नियम पुस्तिका (प्रशासकीय) के अध्याय IX में निर्धारित अन्य दूसरी जाँचों को समुदाय, दावा की गई छूटों आदि जैसी परीक्षार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई महत्त्वपूर्ण सूचना के पूर्ण सत्यापन के अलावा विभागाध्यक्ष द्वारा पूरा किया जाना है।
परिपत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
निदेशक (परीक्षा)

अनुलग्नक - उपर्युक्तानुसार

अधीनस्थ लेखा परीक्षा/लेखा सेवा/राजस्व लेखा परीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षा 2011 - पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश

(अ) परीक्षार्थी द्वारा पंजीकरण -

(1) http://examreg.cag.gov.in/registration/ वेब पते पर लॉग ऑन करें।

(2) सिस्टम कार्यालय कोड एवं कूटशब्द के लिए पूछता है। कृपया उन्हें दर्ज करें। कार्यालय कोड और पासवर्ड अलग से ई-मेल के माध्यम से भेजा जाता है।

(3) पंजीकरण के लिए आवेदन में आवश्यक सारी महत्वपूर्ण जानकारी हेतु लाल तारांकन का संकेत दिया गया है। प्रणाली आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान तब तक नहीं करेगी जब तक कि लाल तारांकन के साथ सभी जानकारी भरी न जा चुकी हो।

नए परीक्षार्थी

(4) "सम्पदितों" (Edit) बटन का प्रयोग करके परीक्षार्थी प्रविष्ट की गई जानकारी में संशोधन कर सकते है। संशोधन करने के उपरांत हस्ताक्षर सहित फोटो को एक बार फिर ब्राऊस (Browse) बटन का प्रयोग करके संलग्न करें।

(5) जैसे ही परीक्षार्थी "प्रस्तुतें" (Submit)" बटन दबाता है प्रणाली आवेदन को अंतिम रूप समझती है और परीक्षार्थी हेतु एस.ए.एस. के लिए "एस" राजस्व लेखा परीक्षा के लिए " आर" और प्रोत्साहन परीक्षा के लिए "आई" उपसर्ग लगाकर सूचकांक संख्या बना देता है।

<u>मौजूदा परीक्षार्थी जो कि CBT 2010 के लिए पंजीकृत हुए थे।</u>

(6) CBT 2010 की सूचकांक संख्या और जन्मतिथि का चयन करने के बाद प्रस्तुत (Submit)" बटन दबाएं। तब जैसा कहा जाता है आवश्यक खानों को भरें।

<u>पूर्व के अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षार्थी</u>

(7) परीक्षार्थी जो पूर्व की अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा में बैठे थे और CBT 2010 परीक्षा में नहीं बैठे को उनका अनुभाग अधि. ग्रेड परीक्षा की सूचकांक संख्या प्रविष्ट कर "प्रस्तुत (Submit)" बटन को दबाएं। तब जैसा कहा गया हो आवश्यक खानों को भरें।

(8) "सम्पदिता करें" (Edit) बटन दबा कर परीक्षार्थी प्रविष्ट की गई जानकारी में संशोधन कर सकते हैं। यदि सम्पदित किया जाए तो हस्ताक्षरित फोटो को एक बार फिर ब्राऊस (Browse) बटन का प्रयोग करके संलग्न करें।

(9) जैसे ही परीक्षार्थी "प्रस्तुत (Submit) बटन दबाता है प्रणाली आवेदन को अंतिम रूप समझती है और परीक्षार्थी हेतु एस.ए.एस. के लिए "एस" राजस्व लेखा परीक्षा के किए "आर" और प्रोत्साहन परीक्षा के लिए "आई" उपसंर्ग लगाकर सूचकांक संख्या बना देती है।

(10) सूचकांक संख्या परीक्षार्थी द्वारा नोट करे जो कि भविष्य में पत्राचार के लिए उपयोगी है और विन्डो बंद कर दें। इससे परीक्षार्थी द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

(11) सही वैकाल्पिक जानकारी जैसे ई-मेल पता, मोबाईल फोन नम्बर तथा कार्यालय पहचान पत्र कार्ड संख्या जरूर लिखें। प्रवेश पत्र के जनन तथा प्राप्त करने और परीक्षा हाल में प्रवेश करने के लिए संदेश भेजने की सुविधाजनक होगी।

(12) प्रत्येक पंजीकरण एक प्रयास के रूप में गिना जाता है। याद रहे, परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक समूह के लिए केवल छह प्रयास ही अनुमेय है। इसलिए, केवल वही परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकरण करे जो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। एक बार अभ्यर्थी का पंजीकरण हो गया तो अभ्यर्थिता से वापसी अनुमेय नहीं है।

(ब) विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन-

(1) अभ्यर्थी द्वारा निवेदित आवेदन के सम्पादन हेतु http://examreg.cag.gov.in/cag-Admin वेब पते पर लॉग ऑन करें।

(2) प्रणाली आपका प्रयोक्ता आई.डी. तथा कूट शब्द को पूछती है। प्रयोक्ता आई. डी. "cag" है तथा कूटशब्द अलग से ई-मेल के माध्यम से भेजा जाता है। कृपया उन्हें दर्ज करें।

(3) विभागाध्यक्ष (HOD) चयन स्क्रीन मेनू एस.ए.एस./आर.ए./आई.ई.पर शाखा अनुसार विवरण देख सकते है। प्रणाली चयनिता शाखा के उस दिनांक तक प्राप्त आवेदनों को उनकी सूंचकांक संख्या के साथ दिखाती है।

(4) स्क्रीन पर उपलब्ध पंजीकरण संख्या तथा छूट मैट्रिक्स पर क्लिक करके विभाग प्रमुख अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट दोनों का सत्यापन ऑन लाइन कर सकते है।

(5) विभाग प्रमुख "सम्पादन (Edit)" मेनू के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी को संशोधित कर सकते है।

(6) अभ्यर्थियों के अनुमोदन से पहले विभाग प्रमुख द्वारा एम.एस.ओ. (प्रशासनिक) खण्ड -I के अध्याय 9 के अनुसार आवश्यक जाँच का प्रयोग छूट की अनुमति सहित अच्छी तरह से जाँच कर लेनी चाहिए।

(7) दिये गये विस्तृत विवरण के सत्यापन के बाद, यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो "सबमिट" बटन पर क्लिक करें। यह अभ्यर्थी के आवेदन के लिए विभाग प्रमुख के अनुमोदन को पूरा करता है।

(8) कोई भी स्पष्टीकरण गैर अनुमोदित अभ्यर्थी सहित अभ्यर्थी से अलग से प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरांत विभाग प्रमुख को "Admin" मॉडयूल पर दोबारा से जाकर अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता का अनुमोदन देना होगा।

(स) मुख्यालय मापांक

(1) विभाग प्रमुख वाले वेब पते के साथ पंजीकरण पर दूसरे वेबसाइट "प्रयोक्ता आई.डी" एवं कूट शब्द द्वारा निदेशक (परीक्षा) उपयोग करते हैं।

(2) मुख्यालय में जाँच कम से कम रखी जाएगी क्योंकि विभाग प्रमुख द्वारा सभी आवश्यक जाँच की जा चुकी हो। तथापि, यदि चयनिता प्रतिशत की जाँच में कोई कमी पाई गई तो आवेदन सम्बंधित कार्यालय को पुन: सत्यापन हेतु प्रेषित किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थिता के अंतिम अनुमोदन की जानकारी वेबसाइट में विभाग प्रमुख के पास उपलब्ध है। तथापि "Admin" मॉडयूल के क्रंमाक 2 और 3 में यह प्रक्रिया दी गई हो।

(4) यह शाखा विशेष के अभ्यर्थी के पंजीकरण को पूर्ण करता हो।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

सं. 289/6- परीक्षा /परिपत्र/2011
दिनांक 15.04. 2011

परीक्षा विभाग
परिपत्र संख्या. 8 /2011

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- **अगस्त 2011 में आयोजित होने वाली एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा के लिए स्थानों की सूची**

महोदय/महोदया,

अगस्त 2011 के महीने में आयोजित होने वाली एस.ए.एस./आर.ए. एवं प्रोत्साहन परीक्षा की आनलाइन कम्प्यूटर आधारित परीक्षा संचालित करने के लिए केन्द्रों की सूची संलग्न है। परीक्षा केन्द्रों का विस्तृत पता अलग से भेजा जाएगा।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
निदेशक (परीक्षा)

<u>एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा केन्द्रों की सूची</u>

1. अगरतला
2. अहमदाबाद
3. इलाहाबाद
4. बैंगलौर
5. भोपाल
6. भुबनेश्वर
7. चण्डीगढ
8. चैन्नई

भुवनेश्वर में कट्टक

9. देहरादून

मुम्बई में गोवा

10. गैंगटोक
11. गोरखपुर
12. ग्वालियर
13. गोवाहाटी
14. हैदराबाद
15. इम्फाल
16. जयपुर
17. जम्मू
18 कोची
19 कोलकाता
20. कोहिमा

चंडीगढ में कपूरला

ट्रीशर में कोणीकोड

21. लखनऊ
22. मुम्बई
23. मदुरई
24 नागपुर
25. नई दिल्ली
26. पुणे
27. पटना

कोलकाता में पोर्टब्लेयर

28. रांची

29. रायपुर
30. राजकोट
31. शिलांग
32. शिमला
33. श्रीनगर
34. ट्रीशर
35. तिरूवन्नतपुरम

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

सं. 420/13- परीक्षा /सम्मि.उत्ती. /2010

दिनांक 19.04. 2011

2011 का परिपत्र सं. 9

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों/राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा अकादमी, शिमला/आई सी आई एस ए, नौएडा
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- लेखा एवं हक कार्यालयों के परीक्षार्थियों जो एस ए एस (सिविल आडिट.) में स्विच ओवर परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठे थे, को एस.ए.एस. (सिविल एकाउन्टस) परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करने का माप दण्ड।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के 2009 के परिपत्र संख्या 7 जो कि दिनांक 8.5.2009 को पत्रांक 501/28-परीक्षा/सी. एका./उत्तीर्ण/2008 के अन्तर्गत जारी किया गया था की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें लेखा एवं हक कार्यालयों के परीक्षार्थियों जो एस.ए.एस. (सिविल आडिट) परीक्षा में स्विच ओवर परीक्षार्थी के रूप में बैठे थे, को एस.ए.एस. (सिविल एकाउन्टस) परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करने के माप दण्ड परिचालत किये गये थे, यह स्पष्ट किया जाता है कि एस.ओ.जी. परीक्षा के नवीनीकरण में दोनो परीक्षाओं के अंको को मिलाकर उत्तीर्ण घोषित करने की प्रणाली एस.ए.एस. परीक्षा प्रणाली में लागू नहीं है। अतः उपरोक्त परिपत्र 2010 से नई प्रणाली जिसमें अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये है के लागू होने के परिणाम स्वरूप समाप्त हो जाता है। इसलिए लेखा एक हक कार्यालयों के परीक्षार्थी एस.ए.एस.

2010 से 2009 के परिपत्र संख्या 7 के अन्तर्गत एस.ए.एस. (सिविल एकाउन्टस) उत्तीर्ण घोषित करने के पात्र नहीं है। इस प्रकार के मामले परीक्षा अनुभाग को न भेजे जाये।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

ई मेल

2011 का परीक्षा परिपत्र सं. 10

सं. 291/6- परीक्षा /परिपत्र/2011

दिनांक 25.04.2011

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(विदेश स्थित लेखा परीक्षा कार्यालयों को छोड़कर)

विषय :- मौजूदा अभ्यर्थियों का आन लाईन पंजीकरण (अगस्त-2010)।

महोदय/महोदया,

इस शाखा के 2011 के परिपत्र सं. 7 कें सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि उन मौजूदा अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण का पंजीकरण सभी प्रकार की परीक्षा जैसे एस.ए.एस,आर.ए.एवं प्रोत्साहन परीक्षा के लिए दिनांक 25-04-2011 से 5-5-2011 तक खुला रहेगा जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षो में परीक्षा दी थी, कार्यालय कोड विगत वर्ष वाला ही रहेगा। सभी कार्यालय को पासवर्ड पहले ही भेजा जा चुका है।

भवदीय

सहायक प्रशासन अधिकारी (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

ई मेल

2011 का परीक्षा परिपत्र सं. 11

सं. 293/6- परीक्षा /परिपत्र/2011

दिनांक 26.04.2011

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
(विदेश स्थित लेखा परीक्षा कार्यालयों को छोड़कर)

विषय :- 2011 के परिपत्र सं. 4 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

महोदय/महोदया,

2011के परीक्षा शाखा के परिपत्र सं. 4 कें सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि अगस्त 2011 में आयोजित होने वाली एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा लेखा एंव हकदारी कार्यालयों के सभी परीक्षार्थियों के लिए खुली है, चाहे उस कार्यालय में सिविल लेखा परीक्षा आयोजित हो या नही, शर्त यह है कि उन्हे लिखित में इस आश्य का आश्वासन देना होगा कि एसएएस (सिविल लेखा परीक्षा) परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, परीक्षा के दो वर्षों के अन्दर वे लेखा परीक्षा कार्यालय की ओर अन्तरण करेगें ।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
निदेशक (परीक्षा)

<u>भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124</u>

<u>2011 का परिपत्र सं. 12</u>

सं. 430/5- परीक्षा /प्रोग्राम/एस.ए.एस./आर.ए.आई.ई/2011

दिनांक 28.04.2011

1. भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
2. निदेशक(कार्मिक)

विषय :- एस.ए.एस/प्रोत्साहन परीक्षा के पी.सी.- 1 तथा पी.सी./आई.ई.-3 के पाठ्यक्रम तथा पी.सी.-2 के शीर्ष में संशोधन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर सहायक नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (एन) के दिनांक 18-03-2011 के परिपत्र संख्या 09 पत्रांक 183 -स्टाफ (नियुक्ति-1)/25-2011 की प्रति सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतु संलग्न हैं।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

(भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
में प्रयोग के लिए अन्य स्थान पर उदृत
या प्रकाशन हेतु नही)

परिपत्र सं.12 कर्मचारी नियुक्ति-1/2011

. 183/कर्मचारी (नियुक्ति-1)/25-2011 /
दिनांक18.03.2011

1. भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी विभागाध्यक्ष
(विदेशों में लेखा परीक्षा कार्यालय छोड़कर)
2. निदेशक (कार्मिक)

विषय :- एस.ए.एस./प्रोत्साहन परीक्षा के पी.सी.-1 (भाषा कौशल), पी.सी.-3/आई ई 3 सूचना प्रोद्योगिकी (सैद्वान्तिक) के पाठ्यक्रम में संशोधन तथा पी.सी. 2 (तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता के शीर्षक/नाम में बदलाव।

महोदय/महोदया,

दिनांक 07-06-2010 के पंत्रांक 632-एनजीई0 (नियु0)/24-2010 के अन्तर्गत जारी परिपत्र सं. 17-एनजीई/2010 का सन्दर्भ ले जिसके द्वारा अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा,राजस्व लेखा परीक्षा तथा प्रोत्साहन परीक्षा का नवीनीकरण किया गया तथा पाठ्यक्रम का संशोधन किया गया। तदुपरान्त नवम्बर 2010 में सी बी टी मोड द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा के परिणाम की समीक्षा की गई तथा निर्णय किया गया कि पी.सी 1(भाषा कौशल) तथा पी सी.3/आई. ई. 3 सूचना प्रौद्योगिक (सैद्वान्तिक) के वर्तमान पाठ्यक्रम का एस.ए.एस की आगामी परीक्षा जो अगस्त 2011 से आयोजित होगी से संशोधन तथा पी सी.2 (तार्किक एवं विश्लेष्णात्मक योग्यता) का शीर्षक/नाम का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जायेः-

1. पी सी. 1, भाषा कौशल (सभी शाखाओ के लिए)

(क) मौखिक तथा पढने की मौलिक योग्यताएँ। 50 अंक

(i) मौखिक तर्क

(ii) वाक्य-शुद्ध

(iii) मुहावरे एंव कहावते

(iv) व्याकरण प्रत्युक्ति

(v) विलोम शब्द

(vi) पर्यावाची शब्द

(vii) शब्दावली प्रवीणता

(viii) लिखने की शैली

(ix) वाक्यों को क्रम में सजाना

(x) गद्यांश को समझना (विज्ञान गधांश, सामाजिक आर्थिक गद्यांश, कारबार गद्यांश, मनोरंजन गद्यांश आदि)

(ख) प्रारूपण एंव लिखने की मौलिक योग्यताएँ। 50 अंक

(i) किसी विषय पर सार।

(ii) प्रश्न में अंकित निर्देशानुसार तथ्यो को उद्धत करते हुए सरकारी पत्र का मसौदा तैयार करना।

भाग (क) में बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगे तथा भाग (ख) में व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न होगे जिनका उत्तर कम्प्यूटर से दिया जाना होगा। प्रश्न पत्र की अवधि आधा घंटा बढ़ा दी गई है, अब यह 2½ घंटों की होगा।अधिक्तम अंक यथावत रहेगे अर्थात।**100 अंक**

II. पीसी-2 तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता सभी शाखायें

पाठ्यक्रम के संगत बनाने के लिए पीसी - 2 का शीर्षक/नाम तार्किक, विश्लेषणात्मक तथा मात्रात्मक योग्यताएं कर दिया गया है।

III. पीसी - 3: सूचना प्रौद्योगिकी (सैद्धान्तिक), सभी शाखायें

- प्रचालन प्रणाली : (प्र. प्र.) क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या है। प्र.प्र. का मूल्यांकन, चर्चित प्र. प्र. के प्रकार क्या है, युनिक्स तथा विन्डोज के मौलिक, खुले उद्गम प्र. प्र यथा लिनिक्स, नेटवर्क्स प्र. प्र के फायदे।
- अनुप्रयोग साफ्टवेयर : धारणाएँ, मूल अनुप्रयोग, विशिष्ट व्यवहार के अनुप्रयोग, प्रथानुचार अनुप्रयोगों का विकास, वृहत् सरकारी विभागों यथा रेलवे की आरक्षण

प्रणाली, राजस्व विभाग के कर अनुप्रयोग, पेंरोल एवं लेखांकन अनुप्रयोग, पी.एस.यू के भंडार प्रबंधन अनुप्रयोग, ई. आर. पी.।

- नेटवर्क्स : मूल धारणाएँ, संसाधन के सहभाजन में नेटवर्क्स का उपयोग, पूर्तिकारें, नेटवर्क्स के सामान्य प्रकार - लैन/वैन/इन्टरनेट, सर्वर आधारित नेटवर्क्स, क्लाइन्ट - सर्वर प्रतिरूप, पी 2 पी नेटवर्क माध्यमें वेतार नेटवर्क्स, नेटवर्क्स के आघात इन्टरनेंट ब्रह्माण्ड.
- डेटावेस प्रबन्धन की मौलिक धारणाएँ : साधारण डेटा वेस का अर्थ, डेटावेस में कार्य करने के फायदे, आर. डी. बी. एम. एस., सामान्य निगमित डेटावेश प्रणालियाँ
- सूचना परिसम्पतियों की सुरक्षा : डेटा, हार्डवेयंर तथा उपयोक्ता के सुरक्षा, आघात हैंकिग के सामान्य प्रकार सुरक्षण-उपाय, पूतिकार, आदि।
- आई टी अधिनियम 2000 के प्रावधानों से परिचित होना।

प्रस्तावित पुस्तकें

1. आईटी अधिनिमय, 2000
2. पीटर नार्टन की पुस्तक "कम्प्यूटर परिचय" (टाटा मैक्ग्रा हिल एजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 7वे संस्करण के निम्मलिखित पाठ-

1. पाठ 6 अ एवं 6ब (डास एवं यूनिक्स कमान्डस को छोड़कर)।
2. पाठ 7अ (नेटवर्क्स टोपोलोजी तथा प्रोटोकोल को छोड़कर लेकिन नेटवर्क मीडिया, नेटवर्क हाईवेयर तथा फाइटिंग हैकर के साथ)।
3. पाठ 7ब।
4. पाठ 9अ।
5. पाठ - 10अ (प्रारम्भ से लेकर विषय: "वर्ड प्रोसेसर इन्टरफेस" तक एवं विषय "हूँ रियली ओन्स द सॉफ्टवेयर ऑन योर पी सी"।
6. पाठ 10ब (विषय: अपने कम्फ्यूटर में छवि लेना तथा ग्राफिक सॉफ्टवेयर उपधारा 3डी को छोड़कर तथा ऐनीमेशन सॉफ्टवेयर)।
7. पाठ 11अ (डीएमएस, शुरू से लेकर विषय" डी.बी.एमएस" तक तथा फील्ड टाईप "आरडीवीएमएस" तथा रिलेशनसिप के विषय।
8. पाठ 11ब, 13अ तथा 13ब।

नोट पीसी-4/आई ई-4, सूचना प्रोद्यौगिकी (व्यवहारिक) के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नही है।

भवदीय

(सौरभ नारायण)
सहायक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (अराजपत्रित)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

2011 का परिपत्र सं. 13

सं. 517/6- परीक्षा /परिपत्र/2011

दिनांक 20.05.2011

सेवा में,

सभी भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के कार्यालय क्षे. प्र.स./ क्षे. प्र. के./एनएएआई/आईसीआईएसए

विषय :- एसएएस का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र।

महोदय/महोदया,

यह सूचना है कि पीसी-4 (सूचना प्रौद्योगिकी) एवं पीसी-1 के खण्ड बी- (प्रारूपण और लेखन योग्यता मूलों) के मोक/डेमो/प्रतिदर्श परीक्षण प्रश्न - पत्रों को भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के वेबसाइट पर परीक्षा विंग के "Sample papers" फोल्डर में दर्शाया गया है। मार्ग है-

"About us > other wings > Examination>Sample papers"

दूसरे प्रश्न पत्रों के प्रतिदर्श परीक्षण प्रश्न पत्र भी उपर्युक्त फोल्डर में अपलोड किए हुए हैं।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

2011 का परिपत्र सं. 14

सं. 521/6- परीक्षा /परिपत्र/2011

दिनांक 24.05.2011

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय

विषय :- एसएएस के लिए परीक्षार्थियों की पात्रता।

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक के स्थाई आदेशों की नियम पुस्तिका (प्रशा.) खण्ड I के पैरा 9.2.6 में कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक, कॉनसाोल ऑपरेटरों एंव डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के पदों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। अत: वे भी अगस्त 2011 एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा देने के पात्र हैं।

सक्षम प्राधिकारी ने इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया है कि लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के स. ले. अ. (स्थाई/स्थाई अस्थाई/तदर्थ) भी अगस्त 2011 एसएएस (सिविल लेखा परीक्षा) परीक्षा दे सकते हैं।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

संख्याः..526../5- परीक्षा/एस.ए.एस./आर.ए./आई.ई 2011
दिनांक 26-05-2011

2011 का परिपत्र संख्या 15

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
के सभी कार्यालय

विषय :- मंडलीय लेखाकार/मंडलीय लेखा अधिकारी/ग्रेड II का एस.ए.एस.(सिविल आडिट)परीक्षा में बैठना।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के दिनांक 6-4-2011 के परिपत्र संख्या 4/2011 (पैरा ,सी,के सन्दर्भ में)के निरन्तरता में यह स्पट किया जाता है कि अगस्त 2011 में आयोजित होने वाली एस.ए.एस. (सिविल आडिट) परीक्षा में लेखा एवं हकदारी कार्यालयो के मंडलीय लेखाकार एवं मंडलीय लेखा अधिकारी ग्रेड II भी बैठने के पात्र है।

भवदीय,

कर्ण सिंह
प्रधान निदेशक(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

ई-मेल

2011 के परीक्षा विंग का परिपत्र सं. 16

सं. 324/6- परीक्षा /परिपत्र/2011

दिनांक 3.06.2011

1. भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी अधिकारी (विदेश स्थित लेखा परीक्षा कार्यालयों को छोड़कर)

2. एन ए ए ए / आई सी आई एस ए / निदेशक (कार्मिक)/ क्षे. प्र. स./ क्षे. प्र. के.

विषय :- अगस्त 2011 में आयोजित होने वाली एस.ए.एस. आर ए एवं प्रोत्साहन परीक्षा के संचालन की तिथियाँ।

महोदय/महोदया,

दिनांक 09.02. 2011 के पत्र सं. 6 - परीक्षा/परिपत्र/ 2011 के अर्न्तगत जारी किए गए परीक्षा विंग के 2011 के परिपत्र सं.1 के अनुक्रम में यह सूचित करना है कि एसएएस/ आर ए एंव प्रोत्साहन परीक्षा 24.08.2011 से 30.08.2011 तक संचालित की जाएगी।

प्रश्न पत्र वार एंव तिथि वार कार्यक्रम की सूचना अलग से भेजी जाएगी।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

सं. 398/6- परीक्षा /परिपत्र/2011
दिनांक 13.07.2011

2011 का परिपत्र सं. 17

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों/राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा अकादमी, शिमला/आई सी आई एस ए, नौएडा
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- एस ए एस- 2011 परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण।

महोदय/महोदया,

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एस ए एस-2011 परीक्षा में भाग लेने के लिए ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी भी अनुमत होंगे जिन्होने निर्धारित व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है।

(प्राधिकार - स्टाफ नियुक्ति विंग पत्र सं0 593-स्टाफ नियुक्ति/24-2010 (के डब्ल्यू-II) दिनांक 8-7-2011)

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

सं. 427/प्रधान निदेशक(परीक्षा) /समय सारणी/2011
दिनांक 21.07.2011

2011 का परिपत्र सं. 18

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा अकादमी/
आई सी आई एस/ आर.टी.आई./आर.टी.सी
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- **अगस्त 2011 में होने वाली एस.ए.एस./आर.ए./आई परीक्षा की समय सारणी**

महोदय/महोदया,

दिनांक 03-06-2011 के पत्रांक 324/6- परीक्षा/परिपत्र 2011 के अन्तर्गत जारी परीक्षा अनुभाग के वर्ष 2011 के परिपत्र संख्या 16 के निरन्तरता में कृपया अगस्त 2011 में दिनांक 24-08-2011 से 30-08-2011 तक होने वाली एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा की संलग्न समय सारणी देखे।

इसका व्यापक प्रचार किया जाये।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

<u>भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124</u>

एस ए एस/आर.ए./आई-परीक्षा (अगस्त 2011) के लिए तिथिवार समय सारणी

दिनांक/दिन	पूर्वाहन सत्र /प्रश्न पत्र 09-00 से 13.30 वजे 24-.08-2011 को छोडकर	अपराहन सत्र - प्रश्न पत्र 14-00 से 18-30 बजे तक 24-.08-2011 को छोडकर
24-08-2011 वुधवार	पी.सी. -1 (पेपर -1) (08.30 से 14.00बजे)	आर..ए.ई.1 तथा आई ई.-1 पी.सी.27,28,29 (5 पेपर) (14.30 से 19.00 बजे)
25-08-2011 ब्रहस्पतिवार	पी.सी.-2 (1 पेपर)	पी.सी.- 8,9,10,11,और 12 (5 पेपर)
26-08-2011 शुक्रवार	पी.सी.-3 और आई ई - 3 (2 पेपर)	पी. सी. - 13,14,और 15 (3 पेपर)
27-08-2011 शनिवार	पी.सी.-4 और आई ई - 4 (2 पेपर)	पी.सी.-16,17,18,19 और 20 (5 पेपर)
28-08-2011 रविवार	अवकाश	अवकाश
29-08-2011 सोमवार	पी.सी.-5,6,और 7 (पेपर - 3)	पी.सी.21,22,23,24,25,और 26 आर.ए.ई-4 से आर.ए.ई-9 (12 पेपर)
30-08-2011 मंगलवार	आर.ए. ई-2 और आई ई 3 (पेपर - 2)	आई ई-2 (1 पेपर)

सत्र	बैच	समय सारणी 24-8-2011	समय सारणी 25-8-11 से 30-8-2011
पूर्वाहन	I	8.30 से 11.00 बजे	9.00 से 11.00 बजे
	II	11.30 से 14.00 बजे	11.30 से 13.30 बजे
अपराहन	I	14.30 से 16.30 बजे	14.00 से 16.00 बजे
	II	17.00 से 19.00 बजे	16.30 से 18.30 बजे

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

परिपत्र संख्या 19/2011

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग
के सभी कार्यालय
आर टी आई/आर टी सी/एन ए ए ए/आईसीआई एस ए
निदेशक (कार्मिक)

सं. 862 /6/परीक्षा/परिपत्र /2011

दिनांक 02/08/2011

विषयः- एस.ए.एस/ प्रोत्साहन परीक्षा, अगस्त 2011 PC-I तथा PC–4 /IE-4 के बाबत्

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय के दिनांक 10-06-.2011 के पत्रांक 338/ निदेशक (परीक्षा) / 2011 के निरन्तरता में यह पुनरावृत्ति की जाती है कि PC-I (भाषा कौशल) तथा PC – 4 /IE – 4 सूचना तकनीकी (व्यावहारिक) प्रश्न पत्रों में सभी Short Cut Keys जैसे Cut, Copy, Paste तथा “TAB” Keys निस्क्रिय रहेगी।

पुनः क्यों कि PC-I (भाषा कौशल) में सार लेखन का पूरा लेखांश एकल स्क्रीन में नहीं आ सकता अतः पृष्ठ में हिलने/नीचे जाने/ऊपर जाने के लिए Scrollbar का प्रयोग करना है।

कृपया इसका व्यापक प्रचार किया जाये

भवदीय,

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

2011 का परिपत्र सं. 20

सं.523 /6-परीक्षा/परिपत्र/2011

दिनांक 16-08-2011

सेवा में,
भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी सम्बन्धित कार्यालय
आरटीआई/आरटीसी/एनएएए/आईसीआईएसए/निदेशक (कार्मिक)

विषय :- एस.ए.एस.प्रोत्साहन परीक्षा अगस्त 2011 हेतु पीसी-1 तथा पी.सी.-4 के लिए हिन्दी कुंजीपटल के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि परीक्षार्थी जिन्होनें पी.सी. -1 एवं पी.सी. -4 परीक्षा में हिन्दी माध्यम चुना है की पी.सी. -1 एवं पी.सी. - 4 (सूचना एवं तकनीकी प्रायोगिक) हेतु मंगल हिन्दी फोन्ट उपलब्ध कराया जाएगा।

इसका व्यापाक प्रचार किया जाए।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

परीक्षा अनुंभाग

सं. 867/6-परीक्षा/परिपत्र/2011
दिनांक 18-08-2011

परिपत्र संख्या 21/2011

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा के सभी सम्बन्धित कार्यालय
आर टी आई/आरटीसी/एनएएए/आईसीआईएसए
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में प्रोत्साहन परीक्षा तथा लेखापरीक्षा कार्यालयों में राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा के लिए पात्रता का मापदण्ड

महोदय,

इस कार्यालय के दिनांक 27-04-2011 के पत्रांक 311/स्टाफ (नियु-I)/1-2006/के. डब्ल्यू के निरन्तरता में यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अर्जित छूट की पात्रता निर्धारित करने की कट ऑफ तिथि उसके पंजीकरण की तिथि है। अतः यदि एक अभ्यर्थी पंजीकरण के समय AAO है तथा बाद में AO पदोन्नत हो जाता है तो वह AAO/ AO के रूप में अर्जित की गई छूट का प्रोत्साहन परीक्षा/राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा में हकदार होगा।

इसका व्यापक प्रसार किया जाये।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

परीक्षा अनुंभाग

परिपत्र संख्या़ 22/2011

सं. 568/6-परीक्षा/परिपत्र/2011

दिनांक 29-08-2011

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा के सभी सम्बन्धित कार्यालय
एनएएए शिमला/ आईसीआईएसए/ आर टी आई/आरटीसी/ /
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- 30.08.2011 को पुनः आयोजित PC-I भाषा कौशल (सभी शाखा में) के लिए हिन्दी FONT

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि 30.08.2011 को पुनः होने वाले PC-I भाषा कौशल (सभी शाखायें) प्रश्न पत्र में हिन्दी माध्यम से प्रश्न पत्र देने वाले परीक्षार्थियों के लिए पहले अधिसूचित Mangal FONT के अतिरिक्त निम्न लिखित FONTS का भी प्रावधान किया गया है।

1. Kruti Dev 010
2. Kruti Pad 230
3. DV Divyae

यह भी सूचित किया जाता है कि **"अक्षर Key boord के साथ प्रयोग किया जाने वाला DV Divyae"** लगभग वही है जैसा कि Kruti Pad 230 अतः वे Kruti Pad 230 प्रयोग कर सकते हैं

ये FONTS परीक्षार्थियों के अभ्यास के लिए उपर्युक्त प्रश्न पत्र के Demo Test में भी उपलब्ध कराये जा चुके हैं जिसका लिंक http://76.74.128.14/cagdtest है।

इसका व्यापक प्रचार किया जाये।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

<u>भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124</u>

<u>2011 का परिपत्र सं. 23</u>

सं.578 /6-परीक्षा/परिपत्र/2011

दिनांक 29-08-2011

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी सम्बन्धित कार्यालय
आरटीआई/आरटीसी/एनएएए/आईसीआईएसए/निदेशक (कार्मिक)

विषय :- 30-08-2011 को फिर से आयोजित होने वाले पी.सी.-1 भाषा कौशल (सभी शाखाओं) के लिए हिन्दी फोन्ट के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

परिपत्र संख्या -22 दिनांक 29-08-2011 में उल्लिखित पी.सी. - 1 भाषा कौशल (सभी शाखाओं) के लिए दिया गया प्रदर्शन परीक्षण (DemoTest) के लिंक http://76.74..128.14/cagdtest को कृपया http://76.74.250. 14/cagdtest पढे। इसके अलावा, लिंक htpp://solutions.eduquity. com/cagsample/default.aspx का प्रयोग भी किया जा सकता है।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

2011 का परिपत्र सं. 24

सं.698 /6-परीक्षा/परिपत्र/2011

दिनांक 17-09-2011

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी सम्बन्धित कार्यालय
आरटीआई/आरटीसी/एनएए/आईसीआईएसए/निदेशक (कार्मिक)

विषय :- अगस्त 2011 को एस.ए.एस./राजस्व लेखा परीक्षा/ प्रोत्साहन परीक्षा के परिणाम।

महोदय/महोदया,

आप को यह सूचित किया जाता है कि 24-08-2011 से 30-08-2011 तक आयोजित अगस्त 2011 की एस.ए.एस./राजस्व लेखा परीक्षा/प्रोत्साहन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। सभी सम्बन्धित विभाग प्रमुखों से अनुरोध किया जाता है कि वे परिणाम तथा अंक प्रति (score card) को डाऊनलोड करने के लिए निम्न लिंक का प्रयोग कर सकते है- http://examreg.cag.gov.in/cag-admin/ और http://saiindia.gov.in/english/home/about-us/other-wings/Examination/Result.html
प्रयोक्ता आई डी एवं कूटशब्द वही रहेगा जो कि परीक्षार्थियों के पंजीकरण के अनुमोदन हेतु प्रभारी प्रमुख को भेजा गया था।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

2011 का परिपत्र सं. 25

सं.1014/6-परीक्षा/परिपत्र/2011

दिनांक 21-08-2011

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी सम्बन्धित कार्यालय
आरटीआई/आरटीसी/एनएएए/आईसीआईएसए/निदेशक (कार्मिक)

विषय :- अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा (अब अधीनस्थ लेखा/लेखा परीक्षा सेवा परीक्षा) में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों को नकद पुरस्कार प्रदान करने की योजना।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के 1982 परिपत्र संख्या 03, जो दिनांक 09-03-1982 को पत्रांक 233/परीक्षा/10-82 के अन्तर्गत जारी किया गया था, में सम्मिलित शर्तो में आंशिक संशोधन करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय किया है कि नकद पुरस्कार का पात्र होने के लिए उच्चतम अंक प्राप्त कर्ताओ को 60% से कम अंक नही होने चाहिए।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली।

सं.1052/6-परीक्षा/परिपत्र/2011

दिनांक-: 17-11-2011

2011 का परिपत्र संख्या 26

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षक विभाग के सभी कार्यालय
आर.टी.आई/आर.टी.सी/ एनएएए/ आईसी आईएसए/निदेशक (कार्मिक)

विषयः- 2012 में पूरक एस.ए.एस. एवं नियमित एस.ए.एस/आर.ए/आई.परीक्षा का आयोजन।

महोदय/महोदया,

सक्षम अधिकारी ने निर्णय किया है कि एस.ए.एस. की परीक्षा के वर्तमान परीक्षार्थियों अर्थात जो परीक्षार्थी एस.ए.एस की अगस्त 2011 या उससे पूर्व परीक्षा में सम्मिलित हुए थे परन्तु परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे के लिए अगली परीक्षा फरवरी/मार्च 2012 में अयोजित की जायेगी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण नवम्बर/दिसम्बर 2011 में प्रारम्भ होगा। परीक्षा की समय सारणी अलग से जारी की जायेगी।

वार्षिक नियमित एसएसए/आरए/आई परीक्षा का आयोजन अगस्त/सितम्बर 2012 में होगा। वार्षिक/नियमित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण अप्रैल 2012 में किया जायेगा। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रार्थना है कि वे अगस्त/सितम्बर 2012 में होने वाली एसएएस की परीक्षा के लिए प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करने की पहल करे तथा जहाँ आवश्यक हो परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था करें।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

ईमेल

परीक्षा अनुभाग

2011 का परीक्षा परिपत्र सं.27

सं. 1054/35- परीक्षा /2008 /V

दिनांक 18. 11.2011

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी अधिकारी (अधिनस्थ कार्योलयों सहित) (डाक सूची के अनुसार)

विषय :- फरवरी/मार्च 2012 में आयोजित होने वाली निर्धारित अधिनस्थ लेखा परीक्षा - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के परीक्षार्थियों के लिए रियायत स्तरों का निर्धारण।

महोदय/महोदया,

अप्रैल 1986 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय एंव भारत सरकार, कार्मिक एंव लोक शिकायत एंव पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 3 अक्तूबर 2000 के पत्र सं. 36012/23/96 - स्था. (आरएस) खण्ड II के अर्न्तगत जारी अनुदेशों के अनुसरण में भारत के नियंत्रक - महा लेखापरीक्षक ने फरवरी/मार्च 2012 में आयोजित होने वाली निर्धारित एसएएस परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति श्रेणियों से सम्बन्धित परीक्षार्थियों को अनुमत किए जाने वाली रियायत की सीमा के लिए सावधानी पूर्वक विचार किया है और निर्णय लिया है कि रियायत की सीमा निम्न प्रकार होगी।

एसएएस समूह –I और II के सभी प्रश्न पत्रों के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5 प्रतिशत तक की रियायत होगी। दूसरे शब्दों में उन परीक्षार्थियों को जो विशेष प्रश्न पत्र में 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नही करते हैं, को उस प्रश्न पत्र में रियायत के साथ उत्त्तीण घोषित करने के लिए 5 प्रतिशत तक अकों की रियायत प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त रियायत फरवरी/मार्च में अयोजित होने वाली एस.ए.एस. परीक्षा के लिए हैं। अनुजाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियों के लिए इस प्रकार की रियायत की सीमा का निर्धारण भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के आयोजन में पूर्व किया जायेगा।

इस रियायत के लिए व्यापक प्रचार किया जाए और अनु.जा./ अनु. ज. जा. परीक्षार्थियों को समुचित रूप से उपर्युक्त रियायत के बारे में सूचित कर दिया जाए।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेंजे।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

ईमेल

परीक्षा अनुभाग

2011 का परीक्षा परिपत्र सं.28

सं. 1059/25- परीक्षा /97 /V

दिनांक 22. 11.2011

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्योलय आर टी आई/आर.टी.सी/एन.एएए/आई सी आई एस.ए/ निदेशक (कार्मिक)

विषय :- फरवरी/मार्च 2012 में आयोजित होने वाली एस.ए.एस. अनुपूरक परीक्षा के केन्द्रों की सूची।

महोदय/महोदया,

फरवरी/मार्च 2012 में आयोजित होने वाली कम्प्यूटर आधारित अधीनस्थ लेखा परीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा के केन्द्रों की सूची संलग्न है। परीक्षा केन्द्रों का विस्तृत पता अलग से सूचित किया जायेगा।

कृपया पावती भेंजे।

संलग्नक -यथोक्त

भवदीय

(कर्ण सिंह)

प्रधान निदेशक (परीक्षा)

<u>एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा केन्द्रों की सूची</u>

1. अगरतला
2. अहमदाबाद
3. इलाहाबाद
4. बैंगलौर
5. भोपाल
6. भुबनेश्वर
7. चण्डीगढ
8. चैन्नई

भुवनेश्वर में कट्टक

9. देहरादून

मुम्बई में गोवा

10. गैंगटोक
11. गोरखपुर
12. ग्वालियर
13. गोवाहाटी
14. हैदराबाद
15. इम्फाल
16. जयपुर
17. जम्मू

18 कोची

19 कोलकाता

20. कोहिमा

चंडीगढ में कपूरला
ट्रीशर में कोणीकोड

21. लखनऊ
22. मुम्बई
23. मदुरई

24 नागपुर

25. नई दिल्ली
26. पुणे
27. पटना

कोलकाता में पोर्टब्लेयर

28. रांची

29. रायपुर
30. राजकोट
31. शिलांग
32. शिमला
33. श्रीनगर
34. ट्रीशर
35. तिरूवन्नतपुरम

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली।
परीक्षा अनुभाग

संख्या. 1064/45-परीक्षा/पंजीकरण /एस.ए.एस./
आर ए/आई ई. /2010-2011/खण्ड-II

दिनांक: - 24-11-2011

2011 का परिपत्र संख्या 29

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष

के.प्र.स./के. प्र.के./ले.एवं लेखा परीक्षा राष्ट्रीय अकादमी/ निदेशक (कार्मिक)

(विदेशों में स्थित कार्यालयों को छोड़कर)

विषय : - फरवरी/मार्च 2012 में होने वाली एस ए एस. (अनुपूरक) परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश और परीक्षा केन्द्रों की सूची।

महोदय/महोदया,

जैसा कि पहले ही सूचित किया जा चुका है कि मौजूदा परीक्षार्थियों अर्थात परीक्षार्थी जो अगस्त 2011 या उससें पहले की एस.ए.एस. परीक्षा में बैठें थे परन्तु इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए थे के लिए अगली अधीनस्थ लेखा एवं लेखा परीक्षा (अनुपूरक) परीक्षा माह फरवरी/मार्च 2012 में आयोजित की जानी है। परीक्षा संचालन की तिथियां दिसम्बर/जनवरी 2012 माह में अधिसूचित की जाएगी।

2. सम्भावित परीक्षार्थियों अर्थात मौजूदा परीक्षार्थी जो कि अगस्त 2011 या इससे पहले आयोजित एस.ए.एस परीक्षा में बैठे थे परन्तु पूर्वोक्त परीक्षा को पास करने में विफल रहे खुद

को ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। उम्मीदवारों का पंजीकरण 01/12/2011 से 15-12/2011 तक के लिए खुला होगा। क्योंकि पंजीकरण ऑनलाइन है इसमें की गई प्रविष्टियों के साथ पंजीकरण को पुनः खोले जाने की कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए महत्व दिया जाता है कि परीक्षार्थियों/ अभ्यार्थियों के विवरणों की यथातथ्यता का सत्यापन एवं सुनिश्चय सेवा पुस्तिका और इस सम्बन्ध में दूसरे अभिलिखों से किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो जाता है तो अवसर को उसका उपयोग किए जाने के समान माना जाएगा।

3. उपर्युक्त उल्लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यार्थियों को अपने -अपने कार्यालयों, जिससे वे सम्बन्धित हैं, में उनके आवेदन पत्रों को भरवाकर ऑन लाइन पंजीकृत कर दिया जाएगा। अपने-अपने कार्यालयों के वरिष्ठ उप महालेखाकार/महालेखाकार पशासन अथवा वरिष्ठ लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशासन) अभ्यर्थी के पंजीकरण की प्रक्रिया का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेंगे। इस से न केवल तथ्यों की यथार्थता सुनिश्चित होगी बल्कि पंजीकरण में दुहरीकरण से बचाव होगा और यह निवेश नियन्त्रण के रूप में कार्य करता है। इस प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों को इन्टरनेट की सुविधा सहित एक या अधिक समर्पित कम्प्यूटरों को पृथक/उद्दिष्ट करना चाहिए।सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकरण के लिए तथा अभ्यावेदन के अनुमोदन, जो कि विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा के, कूटशब्द उत्पन्न किये जा चुके हैं और अगल से सम्प्रेषित किए जायेंगे।

4. पिछले वर्ष अपूर्ण/गलत/विलम्बित पंजीकरण के कुछ मामले देखने में आये। पंजीकरण विवरण की जांच के दौरान यह देखा गया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने सूचकांक संख्या (SOGE) सही ढंग से नहीं भरी थी और ना ही छूट ठीक से भरी। कुछ अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र के जारी होने के बाद भी विभिन्न विषयों में छूट का दावा किया। एक उदाहरण अभ्यर्थी की गलत फोटो अपलोड करने का भी सामने आया। इस सभी से यह संकेत मिलता है कि

अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये आवेदनों की क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ठीक से जाँच नहीं की गई है या अभ्यर्थी द्वारा पूरा ब्यौरा प्रस्तुत नही किया गया है। इसे नही दोहराया जाना चाहिए । इसलिए कृपया अन्य बातों के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए किः-

(i) अभ्यर्थी का पूरा नाम और उसका पितृत्व सेवा पुस्तिका के अनुरूप ही दर्ज किया गया हो

(ii) अभ्यर्थी द्वारा भरा गया ब्यौरा विधिवत् जाँच लिया गया हैः विशेष रूप से सूचकांक संख्या/वर्ष/बैच जिसमें कि वह बैठा है और छूट का दावा है।

(iii) अभ्यर्थी अपने-अपने कार्यालयों से जिससे कि उनका संबंध है से पंजीकृत हों।

5. उपर्युक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण हेतु विस्तृत निर्देश/चरण केन्द्रों की सूची सहित संलग्न हैं।

6. इसके अतिरिक्त, स्थायी आदेशों की नियमपुस्तिका (प्रशासकीय) के अध्याय IX में निर्धारित अन्य दूसरी जाँचों को समुदाय, दावा की गई छूटों आदि जैसी अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई महत्वपूर्ण सूचना के पूर्ण सत्यापन के अलावा विभागाध्यक्ष द्वारा पूरा किया जाना है।

परिपत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

भवदीय

अनुलग्नकः- उपर्युक्तानुसार

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक(परीक्षा)

अधीनस्थ लेखा परीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा फरवरी/मार्च 2012 - पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश

(अ) परीक्षार्थी द्वारा पंजीकरण -

(1) http://examreg.cag.gov.in/registration/ वेब पते पर लॉग ऑन/प्रवेश करें।

(2) प्रणाली कार्यालय कोड एवं कूटशब्द के लिए पूछता है। कृपया उन्हें दर्ज करें। कार्यालय कोड और कूटशब्द अलग से ई-मेल के माध्यम से भेजा जाता है।

(3) पंजीकरण के लिए आवेदन में महत्वपूर्ण आवश्यक सारी जानकारी हेतु लाल तारांकन का संकेत दिया गया है। प्रणाली आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान तव तक नहीं करेगी जब तक कि लाल तारांकन वाली सारी जानकारी भरी न जा चुकी हो।

4. अगस्त 2011 या नवम्बर 2010 की सी बी टी प्रणाली में पंजीकृत परीक्षार्थी अपनी सूचकांक संख्या सी बी टी 2011 या सी बी टी 2010, जैसा भी हो, दर्ज करें। जन्म दिवस का चयन करें और प्रस्तुत(Submit) बटन दबाएं। उसके बाद जैसा पूछा गया हो आवश्यक खानों को भरें।

पूर्व के अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा के परीक्षार्थी-

5. परीक्षार्थी जो पूर्व की अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा मे बैठे थे और सी बी टी 2010 या सी बी टी 2011 में नही बैठे को उनका अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा की सूचकांक संख्या, वर्ष और माह की प्रविष्टि कर "प्रस्तुत नया पंजीकरण (submit new registeration)" बटन को दबाएं। तब जैसा कहा गया हो आवश्यक खानों को भरें।

6. "प्रस्तुत (Submit)" बटन को दबाने से पहले परीक्षार्थी अपनी जानकारी का सूक्ष्म विवेचन कर लें। यदि किसी जानकारी को संशोधित करना हो तो ऐसा करने के लिये "सम्पादित करें (Edit)" बटन दबायें। यदि सम्पादित किया जाए तो हस्ताक्षरित फोटो को एक बार फिर "ब्राऊस (Browse)" बटन का प्रयोग करके संलग्न करें। **दोहराने के लिये; यदि किसी भी जानकारी को संशोधित/सम्पदित किया जाता है तो हस्ताक्षरित फोटो को ब्राऊस बटन का प्रयोग करके पुनः संलग्न/अपलोड करें।** एक बार प्रस्तुत करने पर, संशोधन पंजीकरण के स्तर पर नहीं पंहुच पाएगा।

(7) जैसे ही परीक्षार्थी "प्रस्तुत (Submit) बटन दबाता है प्रणाली आवेदन को अंतिम रूप समझती है और परीक्षार्थी हेतु एस.ए.एस. के लिए "एस" उपसंर्ग लगाकर सूचकांक संख्या बना देती है।

(8) सूचकांक संख्या परीक्षार्थी द्वारा नोट करे जो कि भविष्य में पत्राचार के लिए उपयोगी है और विन्डो बंद कर दें। इससे परीक्षार्थी द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

(9) वैकल्पिक जानकारी जैसे ई-मेल पता, मोबाईल फोन नम्बर तथा कार्यालय पहचान पत्र संख्या सही ढग से लिखें जिससे प्रवेश पत्र के जनन तथा प्राप्त करने और परीक्षा हाल में प्रवेश करने के लिए संदेश भेजने की सुविधा दी जा सके ।

(10) प्रत्येक पंजीकरण एक प्रयास के रूप में गिना जाता है। याद रहे, एस.ए.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु नवम्बर 2010 से केवल छह प्रयास ही अनुमेय है। इसलिए, केवल वही परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकरण करे जो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। एक बार अभ्यर्थी का पंजीकरण हो गया तो अभ्यर्थिता से वापसी अनुमेय **नहीं** है।

(ब) विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन-

(1) अभ्यर्थी द्वारा निवेदित आवेदन के सम्पादन हेतु http://examreg.cag.gov.in/cag-admin वेब पते पर लॉग ऑन करें।

(2) प्रणाली आपका प्रयोक्ता आई.डी. तथा कूट शब्द पूछती है। प्रयोक्ता आई. डी. "cag" है तथा कूट शब्द अलग से ई-मेल के माध्यम से भेजा जाता है। कृपया उन्हें दर्ज करें। विभागाध्यक्ष प्रयोक्ता आई.डी. तथा कूटशब्द को बदल सकता है।

(3) विभागाध्यक्ष (HOD) चयन स्क्रीन मेनू पर अभ्यर्थियों द्वारा कही गई जानकारी का विवरण देख सकते है। प्रणाली उस दिनांक तक प्राप्त आवेदनों की संख्या को उनकी सूचकांक संख्या के साथ दिखाती है।

(4) विभागाध्यक्ष स्क्रीन पर उपलब्ध अभ्यर्थी की पंजीकरण संख्या पर क्लिक करके अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट की गई दावो का सत्यापन ऑन लाइन कर सकते है।

(5) विभाग प्रमुख "सम्पादन (Edit)" मेनू के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी को संशोधित कर सकते है।

(6) अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन को करने से पहले विभागाध्यक्ष को सीएजी की एमएसओ (प्रशासनिक) खण्ड -I के अध्याय 9 के अनुसार छूट की अनुमति सहित अच्छी तरह से जाँच कर लेनी चाहिए।

(7) दिये गये विस्तृत विवरण के सत्यापन के बाद, यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो "सबमिट" बटन पर क्लिक करें। यह अभ्यर्थी के आवेदन के लिए विभाग प्रमुख के अनुमोदन को पूरा करता है।

(8) कोई भी स्पष्टीकरण गैर अनुमोदित अभ्यर्थी सहित अभ्यर्थी से अलग से प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरांत विभाग प्रमुख को "admin" मॉडयूल पर दोबारा से जाकर अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता का अनुमोदन देना होगा।

(स) मुख्यालय मापांक

(1) विभागाध्यक्ष द्वारा प्रयोग किए गए वेब पते पर ही किसी दूसरे प्रयोक्ता आई.डी" एवं कूटशब्द द्वारा प्रधान निदेशक (परीक्षा) उपयोग करते हैं।

(2) मुख्यालय में जाँच कम से कम रखी जाएगी क्योंकि विभागाध्यक्ष द्वारा सभी आवश्यक जाँच की जा चुकी होगी तथापि, यदि चयनित प्रतिशत की जाँच में कोई कमी पाई गई तो आवेदन सम्बंधित कार्यालय को पुन: सत्यापन हेतु प्रेषित किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थिता के अंतिम अनुमोदन की जानकारी वेबसाइट में विभागाध्यक्ष के पास उपलब्ध है। तथापि "admin" मॉडयूल के क्रंम संख्या 2 और 3 में यह प्रक्रिया दी गई है।

(4) इसके साथ ही अभ्यर्थी के पंजीकरण का कार्य पूर्ण हो जाता है।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

फरवरी/मार्च-2012 एस ए एस (अनुपूरक) परीक्षा के लिए केन्द्रों की सूची

एस.ए.एस./आर.ए./प्रोत्साहन परीक्षा केन्द्रों की सूची

1. अगरतला
2. अहमदाबाद
3. इलाहाबाद
4. बैगलौर
5. भोपाल
6. भुबनेश्वर
7. चण्डीगढ
8. चैन्नई

भुवनेश्वर में कट्टक

9. देहरादून

मुम्बई में गोवा

10. गैंगटोक
11. गोरखपुर
12. ग्वालियर
13. गोवाहाटी
14. हैदराबाद
15. इम्फाल
16. जयपुर
17. जम्मू

18 कोची

19 कोलकाता

20. कोहिमा

चंडीगढ में कपूरला

ट्रीशर में कोणीकोड

21. लखनऊ
22. मुम्बई
23. मदुरई

24 नागपुर

25. नई दिल्ली
26. पुणे
27. पटना

कोलकाता में पोर्टब्लेयर

28. रांची
29. रायपुर
30. राजकोट
31. शिलांग
32. शिमला
33. श्रीनगर
34. ट्रीशर
35. तिरूवन्नतपुरम

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

संख्या. 1065/131-परीक्षा/प्रोग्राम/एस.ए.एस.अनुपूरक/2011

दिनांक: - 24-11-2011

2011 का परिपत्र संख्या 30

सेवा में,

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
आर.टी.आई./आर.टी.सी./एन ए ए ए शिमला/
आई.सी.आई.एस.ए.नोयडा तथा निदेशक (कार्मिक)

विषय : - फरवरी/मार्च 2012 में आयोजित की जाने वाली एस.ए.एस. की अनुपूरक परीक्षा

महोदय/महोदया,

दिनांक 17-11-2011 के पत्रांक 1052/परीक्षा/परिपत्र/2011 के अन्तर्गत जारी परीक्षा अनुभाग के 2011 के परिपत्र संख्या 26 की निरन्तरता में यह स्पष्ट किया जाता है कि फरवरी/मार्च 2012 में आयोजित होने वाली एस.ए.एस. की अनुपूरक परीक्षा केवल उन कार्यालयों के अभ्यार्थियों के लिए खुली है जिनमें परीक्षा अनुभाग के 2011 के परिपत्र सं. 4 जो दिनांक 06-04-2011 को पत्रांक 178/6-परीक्षा/2011 द्वारा जारी किया गया था तथा 2011 परिपत्र संख्या 11 जो दिनांक 26-11-2011 को पत्रांक 293/6-परीक्षा/परिपत्र/2011 द्वारा स्पष्टीकरण के अन्तर्गत अगस्त 2011 में आयोजित की गई थी। पुन: एस.ए.एस. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अनुमत अवसरो की संख्या 6 है। जैसा कि कर्मचारी नियुक्ति विंग के परिपत्र संख्या 34-कर्म.नियु.-1/2011 जो कि दिनाक 24-11-2011 को पत्रांक 938-सटाफ (सं.-1)/25-2011 द्वारा परिचालित किया गया था।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।

परीक्षा अनुभाग

संख्या. 1135/45-परीक्षा/रजि. /एस.ए.एस./
आर.ए./आई.ई./2011
दिनांक: -9-12-2011

2011 का परिपत्र संख्या 31

सेवा में,

सभी संबंधित भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
आर.टी.आई./आर.टी.सी./एन ए ए ए शिमला/
आई.सी.आई.एस.ए.नोयडा तथा निदेशक (कार्मिक)

विषय : - फरवरी/मार्च 2012 में आयोजित की जाने वाली एस.ए.एस. परीक्षा में हिन्दी माध्यम के परीक्षार्थियों के उपयोग हेतु डेमो टेस्ट वेबसाइट, अक्षर फॉन्ट एवं रेमिंग्टन की बोर्ड कस्टमाइउड ले आउट।

महोदय/महोदया,

परीक्षा के कम्प्यूटर आधारित माध्यम जाँच के डेमोटेस्ट की जानकारी वेबसाइट http://76.74.250.14/cagdtest पर उपलब्ध है। साइट की उपलब्धता सी.ए.जी. वेबसाइट; under route About us –other wings-Examination के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। वैसे परिक्षार्थी जो पी.सी.-1 भाषा कौशल में हिन्दी माध्यम का चुनाव करते हैं उनके प्रयोग हेतु सामान्यतः उपयोग में आने वाली अक्षर फॉन्ट एवं रेमिंग्टन की बोर्ड कस्टमाइज्ड ले आउट को उपर्युक्त वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। परीक्षार्थियों के विस्तृत जानकारी हेतु रेमिंग्टन की बोर्ड कस्टमाइज्ड ले आउट एवं इसके फॉन्ट को डाउनलोड एवं प्रयोग करने की विधि भेजी जा रही है। इसके अलावा, परिक्षार्थियों के लिए निर्देश जो कि उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलोडेड/उपलब्ध है उसे भी संलग्न किया गया है। संलग्न निर्देशों के टूल बार में दिये गये "फॉन्ट" बटन में निम्नलिखित फान्ट्स उपलबध हैः-

(i)	एरियल	अंग्रेजी
(ii)	टाइम्स न्यू रोमन	अंग्रेजी
(iii)	वरदान	अंग्रेजी
(iv)	अक्षर	हिन्दी

कम्प्यूटर आधारित जाँच माध्यम के अन्तर्गत पी.सी. -1, भाषा कौशल प्रश्न पत्रों में परीक्षा देते समय टैब एवं कन्ट्रोल की, कट, कॉपी और पेस्ट कमांड को निष्क्रिय कर दिया जाता है। निर्देशानुसार, टूल बॉक्स में दर्शाये गये "टैब" बटन का उपयोग दो पैरों के बीच दूरी देने के लिये होता है। फरवरी /मार्च 2012 एस.ए.एस. परीक्षा में पी.सी. -1, भाषा कौशल प्रश्न पत्रों में परीक्षा देने हेतु सामान्यतः उपयोग में आने वाली अक्षर फॉन्ट एवं रेमिंग्टन की बोर्ड कस्टमाइज्ड ले आउट जो कि संलग्न है उपलब्ध एवं उपयोगी होगी।

इसका व्यापक रूप से प्रसार किया जाये।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक(परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

2011 का परीक्षा परिपत्र सं. 32

सं. 1155/45- परीक्षा /पंजीकरण/एस.ए.एस. /2011

दिनांक 13.12.2011

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
आर.टी.आई./आर.टी.सी./एन.ए.ए.ए.शिमला/
आई.सी.आई.एस.ए नोयडा
निदेशक (कार्मिक)

विषय :- फरवरी/मार्च 2012 मे होने वाली एस.ए.एस. (अनुपूरक) परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण।

महोदय/महोदया,

यह केवल स्मरण कराने के लिए है कि एस.ए.एस (अनुपूरक) परीक्षा फरवरी/मार्च 2012 के लिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण जारी है तथा 15-12-2011 तक होगा। यदि पंजीकरण प्रारम्भ नही किया है तो कृपया शीघ्रता करे। इस विषय में यदि कोई समस्या हो तो कृपया परीक्षा अनुभाग को सम्पर्क करे। पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि यह परीक्षा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुली है जो अगस्त 2011 या पूर्व के वर्षो में परीक्षा में सम्मिलित हुए हो। कर्मचारी नियुक्ति विंग ने स्पष्ट किया है कि उनके दिनांक 24-11-2011 के पत्रांक 938-कर्मचारी (नियुक्ति-I)/25-2011 जिसके अन्तर्गत कर्मचारी नियुक्ति विंग का परिपत्र सं. 34-कर्मचारी नियुक्ति-I)/2011 परिचालित है के पैरा I में "year" को "years" पढा जाये।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली -110124

सं. 1162/131- परीक्षा /प्रोग्राम/एसएएस अनुपूरक/2011
दिनांक 15.-12-.2011

2011 का परिपत्र सं. 33

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
आर टी आई /आरटीसी/एनएएए,शिमला/आईसीआईएसए नोएडा एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषयः- फरवरी/मार्च 2012 एसएएस परीक्षा (अनुपूरक) की अभ्यर्थता की अनुमति के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के पत्र सं. 1064 /45-परीक्षा/रजिस्ट्रेशन/एस.ए.एस/आर.ए./आई.ई./2010-2011/vol-II दिनांक 24-11-2011 के अन्तर्गत जारी किये गये परिपत्र संख्या 29 (2011) की निरन्तरता में यह सूचित किया जाता है कि विभागाध्यक्ष द्वारा फरवरी/मार्च 2012 एस.ए.एस. (अनुपूरक) परीक्षा के अभ्यर्थियों के पंजीकरण की स्वीकृति दिनांक 16-12-2011 से 23-12-2011 तक खुली रहेगी।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली

ई मेल

2011 का परीक्षा परिपत्र सं. 34

सं. 767/131- परीक्षा /प्रोग्राम/एस.ए.एस (अनुपूरक) /2011

दिनांक 19.12.2011

सेवा में,

भारतीय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग के सभी कार्यालय
आर टी आई /आरटीसी/एनएएए,शिमला/आईसीआईएसए नोएडा एवं
निदेशक (कार्मिक)

विषय :- फरवरी/मार्च 2012 एसएएस (अनुपूरक) परीक्षा का आयोजन।

महोदय/महोदया,

परीक्षा अनुभाग के 2011 के परिपत्र सं. 26 जो कि पत्र सं. 1052/परीक्षा/परिपत्र/2011 दिनांक 17-11-2011 के द्वारा जारी किया गया है,कि निरन्तरता में यह सूचित किया जाता है कि एस.ए.एस (अनुपूरक) परीक्षा दिनांक 13-मार्च,2012 से 17 मार्च, 2012 तक आयोजित की जायेगी।

प्रश्न पत्र वार दिनांक का कार्यक्रम बाद में सूचित किया जायेगा।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजे।

भवदीय

(कर्ण सिंह)
प्रधान निदेशक (परीक्षा)